संख्या–1148/ III (3)/2018–29(सामान्य)/2018

प्रेषक,

दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–03 देहरादून : दिनांक 30 नवम्बर, 2018

विषय : मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में प्रतिशपथ पत्र योजित किये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–358/XXXVI/न्या0वि0/2018 दिनांक 22.11.2018 एवं पत्र संख्या–307/XXXVI/न्या0वि0/2018 दिनांक 05.11.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक 02.11.2018 में मा0 मुख्य न्यायाधीश जी द्वारा दिये गये निम्न आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:–

(i) The time for Counter affidavit once granted shall not be extended in any manner and the Hon'ble Court would pass adverse orders in case the counter affidavit is not filed within the time granted.

(ii) The Counter affidavit filed, must be clear and specific and to the point. The sketch/flimsy/vague affidavits would entail serious consequences.

(iii) Once the judicial order is passed; the respondents are bound to comply the same well within time, by all means. No excuses would be entertained.

(iv) It is open for the aggrieved party to take recourse to judicial procedures, but if the judicial order is operating it has to be complied with in its letter and spirit.

2– इस सन्दर्भ में उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा प्रदत्त उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन सं. 2820/49वि.प्र. दि. 5/12/18

प्रतिलिपि निम्न लिखित को अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि.
(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि.
(3) समस्त अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि.

(हस्ताक्षर) 5/12/18
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड

संख्याः–358/XXXVI/न्या0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

न्याय विभाग

देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषयः– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उतराखण्ड शासन के पत्र दिनांकित 02.11.2018 एवं न्याय विभाग के पत्र संख्या 307/XXXVI/न्या0वि0/2018–251/2015 दिनांकित 05.11.2018 (प्रतिलिपि संलग्न), जिसके द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता के उपर्युक्त वर्णित पत्र दिनांकित 02.11.2018 के माध्यम से मा0 मुख्य न्यायाधीश जी के प्राप्त आदेशों को अनुपालनार्थ प्रेषित किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उतराखण्ड शासन का उक्त पत्र दिनांकित 02.11.2018 इस प्रकार हैः–

"With profound respect, I thought this proper, as a part of my duty, to communicate certain observations as made by Hon'ble the Chief Justice today in the Division Bench of the Hon'ble Court, in the very first case;-

(1) The time for counter affidavit once granted shall not be extended in any manner and the Hon'ble Court would pass adverse orders in case the counter affidavit is not filed within the time granted.

(2) The counter affidavit filed, must be clear and specific and to the point. The sketchy/flimsy/vague affidavits would entail serious consequences.

(3) Once the judicial order is passed; the respondents are bound to comply the same well within time, by all means. No excuses would be entertained.

(4) It is open for the aggrieved party to take recourse to judicial procedures, but if the judicial order is operating it has to be complied with in its letter and spirit."

3. सचिव समिति की बैठक दिनांकित 19.11.2018 में मा0 मुख्य न्यायाधीश जी के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए मुख्य सचिव, महोदय द्वारा भी निर्देश दिये गये है।

4. अतः पुनः अनुरोध है कि कृपया राज्य अथवा राज्य के अधिकारियों की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दिये गये समय के अन्दर प्रस्तुत करने का एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नः--यथोपरि।

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- /XXXVI/न्या0वि0/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन, नैनीताल

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।